

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 1984/चैत्र 20, 1906
No. 109] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 1984/CHAITRA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वाय तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1984

सा.का.नि. 274(अ).—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मासिक अधि-
नियम, 1978 (1978 का 60) की धारा 28 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति से महाराष्ट्र राज्य में विधिक
माप विद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के
भाग 4 के अध्याय 4 के उपबन्धों सम्बन्धी विधिक माप विद्या निदेशक की

सभी शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं, सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बंटी, वितरित या परिदत्त की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू, एम.-9(4)/84]

एस. वी. एम. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 1984

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 28 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby delegates to the person for the time being holding the Office of the Controller of Legal Metrology in the State of Maharashtra all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act, except the powers conferred by section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form, which is sold, distributed or delivered in the course of any inter-State trade and commerce.

[F. No. WM-9(4)/84]

S. V. M. TRIPATHI, Jt. Secy.

